

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

महोदय,

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित प्रकरणों जैसे- कर्मचारियों की ए0सी0पी0, समयमान वेतनमान, स्थायीकरण, सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों के समस्त भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कोविड/नॉन कोविड से मृत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का 10 दिनों के भीतर निस्तारण कराकर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है । जिस पर कमिश्नर महोदया द्वारा समीक्षा की जानी है ।

अतः अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त समस्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराते हुए सूचना अधोहस्ताक्षरी को निम्न प्रारूप में ई-मेल- cta3comhqju-up@nic.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें । ताकि कमिश्नर महोदया को समीक्षा हेतु ससमय सूचना उपलब्ध करायी जा सके ।

समस्त प्रकरणों का प्रारूप

क्रम सं0	जोन / जनपद	प्रकरण / विषय वस्तु	अनिस्तारित प्रकरणों / विषय वस्तु की संख्या कर्मचारी का नाम / पदनाम सहित
1	2	3	5

\$

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0 व दिनांक उक्त ।

- 1- ज्वाइंट कमिश्नर, एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ को कमिश्नर महोदया के अवलोकनार्थ ।
- 2- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को **विभागीय वेबसाइट** पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

\$

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।